

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

हरिराम मुमं
बनाम
केदार 116/2023




हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/2/24 फा. नं. 116/2023 के अंतर्गत
में दिनांक 8-2-24 को पेश है।

26/2/24

पक्षवादी काशी हरिराम द्वारा
पक्षवादी तमज कले के प्रा.
पक्ष के रूप में आयालय
पर लक्ष्य रखी गयी।
काशी हरिराम ने। प्रा. पक्ष अंगुठा निशानी
इस आदेश का पेटा किया हरिराम
है कि वह इस आदेश संख्या गवाह ①
116/2023 को आगे नहीं जाये।
पक्षवादी Withdraw करना गवाह ②
चाहता है। पक्षवादी Withdraw
की अनुमति दी जाती है।
पक्षवादी खारिज करके कोर्ट
अपना करके शीकल इजाजत
की जाती है। पक्षवादी
कोर्ट में शामिल होकर शीकल
कर ले है।



उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)